9/C

न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी
एम.आई.जी. 247 माधव नगर
ग्वालियर (म0प्र0)

दिनांकः 05.10.2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः ग्वालियर जिले के ग्राम डोंगरपुर में इंस्टीट्यूट एण्ड रिहेब्लिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैराप्लेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि न्यूट्रिक एजुकेशन सोसायटी, ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः 1. भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPB060/2020-BHO दिनांक 26.09.2020
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक /एफ–5/912/2019/10–11/3297 BHO दिनांक 30.09.2020

महोदय,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र द्वारा चाही गई बिंदु क्रमांक 1,2,3,4,6,7, एवं 8 की जानकारी निम्नानुसार है –

बिंदु क्रमांक 1, 2 तथा 3 का संयुक्त उत्तर :–

चूंकि यह संस्थान पैरालिसिस तथा पैरा प्लेजिक के मरीजों के इलाज के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा संस्थान ग्वालियर जिले के 200 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी स्थित नहीं है । इस संस्थान में कुछ मशीनें ऐसी भी लगाई जाने वाली हैं जो भारत में किसी अन्य संस्था में उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि जिस स्थान पर यह हॉस्पिटल निर्मित किया जा रहा है वह सुगम स्थान पर निर्मित हो ताकि दूर से आने वाले मरीज आसानी से इस स्थान पर पहुंच पाये । प्रस्तावित स्थल रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर तथा बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है अतः बाहर से आने वाले मरीज बिना किसी बड़े खर्चे के, बिना किसी परेशानी के इस स्थान तक पहुंच सकते हैं । यह हॉस्पिटल किसी भी राजस्व भूमि पर निर्मित नहीं किया जा सकता है । नियमों के अनुसार यह अस्पताल कृषि भूमि पर भी निर्मित नहीं हो सकता है । इसे पब्लिक या सेमी पब्लिक स्थल पर ही निर्मित किया जा सकता है । आपके द्वारा यह उल्लेख किया गया है की इस संबंध में यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि इस हॉस्पिटल की स्थापना के लिए ग्वालियर शहर या ग्वालियर जिले में अन्य कोई स्थल उपलब्ध नहीं है । इस संबंध में यह अनुरोध है की ग्वालियर शहर एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें सर्वेक्षण के बाद अन्य स्थल उपयुक्त ना होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई वर्षों का समय लग जाएगा वन मंडल अधिकारी ग्वालियर ने भी बिंदु क्रमांक 10 में यह प्रमाणित किया है ।

बिंदु क्रमांक 4 का उत्तर :—

भारत सरकार के नियमों के अनुसार एफ आर ए प्रमाण पत्र अंतिम स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है अतः यह प्रमाण पत्र अंतिम स्वीकृति के पूर्ण प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

बिंदु क्रमांक 6 का उत्तर :—

इस कार्य के लिए पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नहीं है

बिंदु क्रमांक 7 का उत्तर :—

जैसा कि ऊपर भी लेख किया गया है कि ग्वालियर जिला एक बहुत बड़ा जिला है तथा ग्वालियर शहर में राजस्व भूमि कहां-कहां उपलब्ध है इसकी जानकारी तथा इन सभी स्थलों की केएमएल फाइल तैयार करने में कई वर्ष का समय लगेगा । इसलिए यह जानकारी आवेदक स्तर से दिया जाना संभव नहीं है।

बिंदु क्रमांक 5, 8, 9, 10, 11, 12 का उत्तर :—

उक्त बिंदुओं का संबन्ध वन विभाग से है। अतः कोई टीप नही है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त संस्थान के निर्माण के लिये स्थल का चयन मरीजों की सुविधा को देखते हुये किया गया है। अतः उक्त भूमि का वन विभाग के नियामानुसार संस्थान के लिये उपलब्ध करायी जावे। तथा हमारी संस्था वन विभाग के समस्त नियमों का पालन करने के लिये वचनबद्ध रहेगी।

धन्यवाद

आवेदक संस्था
न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी
एम.आई.जी. 247 माधव नगर
ग्वालियर (म0प्र0)